न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 2022 / 32

1 हरदेवसिंह पुत्र गुरमीतसिंह जाति जटसिख निः 1पीडब्ल्युएम खाजूवाला

.....वादी

बनाम

1. अशोककुमार पुत्र हनुमानप्रसाद जाति लखोटिया निः नई धानमण्डी दूकान नं0 11 खाजूवाला।
2. त्हसीलदार राजस्व खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. उपपंजीयक खाजूवाला तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188 आरटीएक्ट
–: निर्णय :– दिनांक :– 22.2.2022

वदपत्र पर गौर किया गया अदालत का मानना है कि अदालत की इस मामले मे कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार नहीं है क्योंकि विवादित जमीन चक 1 पीडब्ल्यूएम बी के मु0नं0 41 / 57 की 2.10 बीघा भूमि वादी द्वारा रजिस्ट्रर्ड सैल डीड के जरिए प्रतिवादी सं0 1 को ट्रांसफर की गई थी। वादी का कहना है कि उसने प्रतिवादी सं01 से पैसे उधार लिए थे उस उधार की सैक्युरिटी के तौर पर प्रश्नगत सैल डीड तस्दीक करवाई गई थी यह समझौता हुआ कि जब वादी पैसे लौटा देगा तब प्रतिवादी सं0 1 इस जमीन की रजिस्ट्री वादी के नाम करवा देगा लेकिन अब प्रतिवादी सं0 1 इस समझौते से मुकर रहा है जबकि वादी उधार लौटाने को तैयार है।
अदालत का मानना है कि उक्त उधार पर रजिस्ट्रर्ड सैल डीड को खारिज करने का अधिकार इस अदालत को नहीं है। इसलिए धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए वाद को खारिज किया जाता है।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)